**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1177

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**पीएचडी धारकों की नियुक्ति के लिए नियम**

1177. श्री रीताब्रता बनर्जीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के रूप में पीएचडी धारकों की नियुक्ति के नियमों को बदल दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) यह किस प्रकार अधिक से अधिक विद्यार्थियों को विदेशों में पीएचडी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इसका देश के पीएचडी कार्यक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 18.07.2018 को भारत के राजपत्र में यूजीसी (विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्‍य शैक्षिक स्‍टॉफ की नियुक्‍ति हेतु न्‍यूनतम अर्हता और उच्‍चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु उपाय) विनियम, 2018 अधिसूचित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार 01.07.2021 से विश्‍वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती हेतु पीएचडी डिग्री अनिवार्य अर्हता होगी। विनियमों में यह भी उल्‍लिखित है कि विश्‍वविद्यालय रैंकिंग (किसी भी समय) निम्‍नलिखित में से किसी एक (i) क्‍वाकुओली साइमंड्स (क्‍यूएस) (ii) टाइम्‍स हायर एजुकेशन (टीएचई) या शंघाई जिआओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) की एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्‍ड यूनिवर्सिटी (एआरडब्‍ल्‍यूयू) में शीर्ष 500 की रैंकिंग वाले विदेशी विश्‍वविद्यालय/संस्‍थान से पीएचडी डिग्री प्राप्‍त व्‍यक्‍ति विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती का पात्र है। उक्‍त विनियम का उद्देश्‍य उत्‍कृष्‍ट गुणी शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्‍हें बनाए रखना और विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में शोध को प्रोत्‍साहित करना है। उक्‍त विनियम यूजीसी की वेबसाइट.[http://ugc.ac.in/pdfnews/4033931 UGC-Regulation min Qualification Jul2018.pdf](http://ugc.ac.in/pdfnews/4033931%20UGC-Regulation%20min%20Qualification%20Jul2018.pdf). पर उपलब्‍ध हैं।

**\*\*\*\*\***